

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

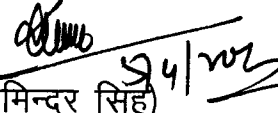
क्रमांक C/2866 /
II-14-43/25

// आदेश //

जबलपुर, दिनांक 05/04/2025

श्री महेश विश्वकर्मा, ए.ओ. (जे), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर को म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 13 (2) के अनुसार सेवानिवृत्ति पूर्व अर्जित अवकाश आवेदन पत्र छः सप्ताह पूर्व प्रस्तुत न किये जाने से दिनांक 17.03.2025 से 29.04.2025 तक 44 दिन के सेवानिवृत्त पूर्व अर्जित अवकाश आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/2867 /
II-14-43/25

जबलपुर, दिनांक 05/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक Memo No. Admin/Leave/686/ Indore दिनांक 01/03/2025 के संदर्भ में श्री महेश विश्वकर्मा, ए.ओ. (जे), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)